समक्ष न्यायालय–सदस्य राजस्व मंडल, ग्वालियर

I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा/2018/0192

1. श्रीमती रसीदा बी पति निसार खॉ
2. कु0 शायदाबी पिता मंसूर अली
   निवासी रोहनाखुर्द, छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
3. मुस0 रफीका जौजे लतीफ खान
   निवासी चांदामेटा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा

......पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. मेहफूज अली पिता मंसूर अली
   निवासी– सरफाबाद आनंद नगर जबलपुर
2. श्रीमती नूरजहॉ पति स्व.आशिक अली
3. जुवेद अली पिता स्व.आशिक अली
   दोनों निवासी इतवारी बाजार छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
4. तबारिक अली पिता मंसूर अली
   निवासी रोहनाखुर्द, छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा
5. शौकत अली पिता स्व.मुबारक अली
6. साबिर अली पिता स्व.मुबारक अली
7. शब्बीर अली पिता स्व.मुबारक अली
8. शकीला पति स्व.मुबारक अली
   चारों राज टाकीज के पास, छिंदवाड़ा
   तहसील व जिला छिंदवाड़ा

...... उत्तरवादीगण

श्री .... द्वारा आज दि0 6-1-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 09-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

राजस्व प्रकरण कमांक 48/अ–27/11–12 मौजा ग्राम रोहनाखुर्द, तहसील व जिला छिंदवाड़ा पक्षकार महफूज अली व आशिक अली एवं अन्य न्यायालय तहसीलदार छिंदवाड़ा के अंतरिम आदेश दिनांक 22/12/2017 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि, उत्तरवादी कं. 1 के द्वारा विद्वान कनिष्ठ न्यायालय के समक्ष ग्राम रोहनाखुर्द प0ह0नं0 24, ब0नं0 514 में स्थित भूमि ख0नं0 103, 157, 160, 163 [illegible]

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2018/192

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आशिक अली द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्ति पर पुन: फर्द रिपोर्ट तैयार कराने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को निर्देशित किया जाकर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण अभी तहसीलदार के समक्ष लंबित है एवं प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	